

(14)
(15)

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक : 2083 / वाद सं०- सी-0053 / एस-सहसपुर / 2023

दिनांक: 18/7/2023

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

कृपया अवगत कराना है कि विपक्षी श्री बाबू सिंह एवं अन्य, शंकरपुर रोड, निकट द्रोण स्कूल, देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित पते/ स्थल पर लगभग 40 बीघा भू-खण्ड में अवैध प्लॉटिंग हेतु भू-खण्डों एवं सड़क का चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है, मौके पर स्वीकृत तलपट मानचित्र नहीं दिखाये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की धारा के अन्तर्गत प्राधिकरण में वाद सं० सी-0053 / एस-सहसपुर / 2023 योजित किया गया। उक्त अवैध निर्माण को दिनांक 24-7-23 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्त की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध राने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

संयुक्त सचिव,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

- प्रतिलिपि:-
1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को उक्त कार्य को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करें।
 2. उपजिलाधिकारी / तहसीलदार को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को ध्वस्त की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु एक क्षेत्राधिकारी को नियुक्त करते हुये पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध राने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
 4. संबंधित थानाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (05 महिला सिपाही एवं 05 पुरुष सिपाही पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 5. सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता / अवर अभियन्ता, (इलैक्ट्रीकल्स) / समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
 6. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को एक जे०सी०बी० एवं ध्वस्तीकरण से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहा० अभि० / अवर० अभि० को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



12/7/23

संयुक्त सचिव,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।